कार्यालय नगर निगम जोधपुर, दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसार, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांकः– 6911 दिनांकः–

ई–निविदा सूचना

U. B. No.....DLB2425SLOB01383.....

नगर निगम जोधपुर दक्षिण में आपदा प्रबन्धन एवं नगर निगम से संबधित अन्य कार्यो के लिए दो वर्ष के लिए हाईड्रा केन, प्लेटफार्म एवं रिकवरी केन की आपूर्ति हेतु द्विवर्षीय दर निविदा के कार्य हेतु अनुभवी एवं योग्य प्रतियोगियों से ई– निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्ते www.lsg.rajasthan.gov.in/mcjs , www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in, से प्राप्त की जा सकती है।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

क्रमांकः– 6912 to 6922 दिनांकः– 24/06/24

प्रतिलिपिः–

1 निजी सहायक, महापौर महोदया, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
2 अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
3 लेखाधिकारी, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
4 अधिशाषी अभियंता (गैरेज), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
5 बिल लिपिक, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
6 प्रभारी ओसवाल डाटा प्रोसेसर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा नगर निगम की वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।
7 प्रोग्रामर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा नगर निगम की वेबसाईट www.lsg.rajasthan.gov.in/mcjs पर अपलोड करें।
8 राजस्थान संवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा एक राज्य स्तर के समाचार पत्र में जिनकी प्रतिदिन प्रतियों की संख्या 50 हजार या इससे अधिक हा एवं एक क्षैत्रीय स्तर के समाचार पत्र में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कर बिल राजकीय दर से भिजवाने की व्यवस्था करावें।
9 सहायक अभियंता (यांत्रिक) गैरेज शाखा दक्षिण को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
10 नोटिस बोर्ड, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
11 गार्ड फाईल, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

RajKaj Ref
8252939

Signature valid
Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.06.23 09:10:19 IST
Reason: Approved

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांकः– 6911

DLB2425SLOB01383

दिनांकः– 24/06/24

ई–निविदा सूचना

नगर निगम दक्षिण जोधपुर की ओर से निविदा शर्तों के अनुसार अनुभवी एवं योग्य फर्मो/संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में निम्न कार्य हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती है जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी।

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

विवरण	दिनांक	समय
ऑन लाईन निविदा फार्म अपलोड करने की दिनांक व समय	24/06/2024	05:00
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराना प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	25/06/2024	11:00
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	10/07/2024	03:00
निविदा शुल्क/धरोहर राशि/ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क के डी.डी/बैंकर्स चैक की मूल प्रति गैरेज प्रमारी रूम न : 324 नगर निगम दक्षिण कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	10/07/2024	03:30
ऑन लाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय	10/07/2024	04:00

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रं. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रूपये में)	धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा शुल्क (रूपये में)	प्रकिया शुल्क (रूपये में)	कार्य की अवधि
1	नगर निगम जोधपुर दक्षिण में आपदा प्रबन्धन एवं नगर निगम से संबधित अन्य कार्यो के लिए दो वर्ष के लिए हाईड्रा केन, प्लेटफार्म एवं रिकवरी केन की आपूर्ति हेतु द्विवर्षीय दर निविदा का कार्य।	15.00 लाख	30,000/–	500/–	500/–	दो वर्ष

अनुमोदित

RajKaj Ref
8252939

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.06.23 09:10:19 IST
Reason: Approved

निविदा की महत्वपूर्ण शर्ते निम्नानुसार है :–

1. निविदा की प्रकिया ऑन लाईन होगी। निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करानी होगी।
2. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवंश यदि निविदाएं नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
3. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु निम्नलिखित राशि के डी.डी/बैंकर चैक की मूल प्रति जोधपुर नगर निगम कार्यालय में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है।

क्र.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क राशि	भुगतान का प्रकार	देय
1.	निविदा शुल्क	500/–	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर, दक्षिण
2.	धरोहर राशि	30000/–	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर, दक्षिण
3.	ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क	500/–	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	MD RISL, JAIPUR

4. प्रदत दरें निविदा खोलने की दिनांक से 60 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना, सेवानिवृति के पश्चात 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों मे कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति, निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां से सेवायें लेने से पहले नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
6. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

RajKaj Ref
8252939

Signature valid

Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.06.23 09:10:19 IST
Reason: Approved

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांकः–

दिनांकः–

1 कार्य :– नगर निगम जोधपुर दक्षिण में आपदा प्रबन्धन एवं नगर निगम से संबधित अन्य कार्यो के लिए दो वर्ष के लिए हाईड्रा केन, प्लेटफार्म एवं रिकवरी केन आपूर्ति हेतु द्विवर्षीय दर अनुबन्ध/निविदा आमंत्रित की जाती है। मांग अनुसार हाईड्रा केन/प्लेटफार्म एवं रिकवरी केन मय ऑपरेटर उपलब्ध करवाने होंगें।

2 **निविदा प्रस्तुत करना :–**

1 निविदा द्वि–स्तरीय बिड पद्धति के अनुसार ऑनलाईन आमंत्रित की गयी है जिसमें निविदा के साथ मांगे गये सभी दस्तावेज एवं निविदा के लिए निर्धारित मापदण्डों से सम्बंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी। उपरोक्त कार्य हेतू दर ऑनलाईन ही अपलोड किये गये निर्धारित प्रारूप (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी। निविदा के लिए निर्धारित मापदण्डों से सम्बंधित दस्तावेजों की प्रतियॉ प्रस्तुत नहीं करने पर निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत की गई दर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

2 पत्राचार हेतु नगर निगम का पता :–

आयुक्त"
नगर निगम जोधपुर, दक्षिण
पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर, गौरव पथ, जोधपुर।
फोन नं.– 02912651464

संवेदक का पत्राचार हेतु पता (संवेदक अपना स्थाई पता, फैक्स, ई–मेल, फोन नम्बर अंकित करें):–

....

....

3. **संवेदक की पात्रता एवं संवेदक द्वारा निम्न दस्तावेज ऑनलाइन निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगें:–**

1. निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं ई–टेण्डरिग प्रकिया शुल्क हेतु डी. डी/बैंकर चैक की स्केन प्रति।
2. निविदादाता/फर्म का वस्तु एवं सेवाकर कार्यालय (GSTIN) में पंजीयन होना आवश्यक है। PAN Card एवं GSTIN पंजीयन प्रमाण पत्र की स्केन प्रति।
3. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले हाईड्रा केन एवं रिकवरी केन का विवरण मय प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तथा इस कार्य हेतु कम से कम 01 हाईड्रा केन (न्यूनतम 8 टन क्षमता) एवं एक रिकवरी केन (4– व्हीलर वाहनों के लिए) का पंजीकृत स्वामित्व निविदादाता का स्वयं का अथवा अन्य से लेने की स्थिति में निविदादाता का वाहन मालिक के साथ वाहन/मशीनें उपलब्ध करवाने के लिए सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उक्त सहमति पत्र की हार्ड कॉपी निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व जोधपुर नगर निगम दक्षिण गैरेज कार्यालय कक्ष 324 में जमा करवाना आवश्यक है।

RajKaj Ref
8252939

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.06.23 09:10:19 IST
Reason: Approved.

4. निविदादाता फर्म/संवेदक किसी भी सरकारी कार्यालय/अर्द्वसरकारी कार्यालय/नगर निगम से ब्लैकलिस्ट नही होना चाहिये तथा फर्म/संवेदक का कोई भी नजदीकी रिश्तेदार जोधपुर नगर निगम दक्षिण में कार्यरत नहीं होना चाहिये। ब्लैक लिस्ट नहीं होने एवं कोई भी नजदीकी रिश्तेदार जोधपुर नगर निगम में कार्यरत नहीं होने से सम्बंधित शपथ <u>पत्र/घोषणा</u> पत्र 100/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा जो कि निविदा खोलने के समय से पूर्व जोधपुर नगर निगम दक्षिण गैरेज प्रभारी कार्यालय रुम नम्बर 324 में प्रस्तुत करना होगा तथा इसकी स्केन प्रति निविदा के साथ ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।
5. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर व सील लगाकर निविदा प्रपत्र की स्केन प्रति।
6. संवेदक द्वारा परिशिष्ट 'ब' में अंडरटेकिंग की स्केन प्रति।
7. किसी भी तरह का Joint Venture स्वीकार्य नहीं होगा।

नोट :– उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 7 तक निर्धारित तकनिकी मापदण्डों हेतु आवश्यक उल्लेखित दस्तावेज 'ई' निविदा में तकनिकी बिड के साथ अपलोड करने होंगे। उपरोक्त दस्तावेज ई–निविदा में अपलोड किये गये दस्तावेजों पर स्पस्टीकरण हेतु निविदा समिति निविदादाता से दस्तावेज मांगने हेतु स्वतंत्र है। निविदादाता द्वारा स्पस्टीकरण हेतु दस्तावेज दी गई समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा दाता को तकनिकी बिड के मुल्यांकन में अयोग्य घोषित करते हुए उनकी वितिय बिड नहीं खोली जायेगी।

4. <u>सामान्य शर्ते</u> :–

1. **निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं ई–टेण्डरिग प्रकिया शुल्क हेतु डी.डी./बैंकर्स चैक की मूल प्रति जोधपुर नगर निगम दक्षिण कार्यालय रुम नम्बर 324 में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है। बिना निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं ई–टेण्डरिग प्रकिया शुल्क के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।**
2. निविदा शुल्क एवं ई–टेण्डरिग प्रकिया शुल्क की राशि वापस नहीं दी जावेगी।
3. निविदा प्रस्तुत करने के लिये सभी व्यय संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। उक्त व्यय के लिए नगर निगम उतरदायी नहीं है।
4. निविदादाता कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल, निगम क्षेत्र की भोगोलिक दशा, निविदा दस्तावेज, विभिन्न नियम–शर्तो/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वितीय प्रस्ताव में अपनी दरें प्रस्तुत करें। प्रस्तुत दरें सभी करों सहित होगी।
5. निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् निविदादाता, निविदा में किसी प्रकार का संशोधन/निविदा को प्रत्याहत नहीं कर सकेगा।
6. निविदा एवं कार्य से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचना, विभिन्न नियम/शर्तों, विवरण के सम्बन्ध में जानकारी निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व गैरेज, नगर निगम जोधपुर, दक्षिण में कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।
7. वित्तीय प्रस्ताव में प्रस्तुत दरों में सभी टैक्स सम्मिलित होगें। भुगतान में से टी.डी.एस. व अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी तथा सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
8. नगर निगम जोधपुर दक्षिण एवं निविदादाता के मध्य निविदा एवं निविदा से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में होगें। हिन्दी/अंग्रेजी के अतिरिक्त निविदा में दस्तावेज अन्य भाषा में होने पर इन दस्तावेजों का पूर्ण शुद्ध रूपान्तरण हिन्दी/अग्रेजी भाषा में करके प्रस्तुत करने होंगें। निविदादाता को वितीय प्रस्ताव INR में ही प्रस्तुत करने होगें।
9. निविदा की अवधि दो वर्ष की होगी।
10. कार्य संतोपजनक होने पर संवेदक की सहमति से अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्य अवधि बढाये जाने हेतु स्वतंत्र है। कार्य संतोपजनक नहीं होने अथवा अन्य परिस्थितियॉ होने पर किसी भी समय नगर निगम निविदा निरस्त कर सकता है जिस पर कोई वाद मान्य नहीं होगा तथा न ही संवेदक को संविदा में बचे हुए समय के लिए कोई क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।

RajKaj Ref
8252939

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.06.23 09:10:19 IST
Reason: Approved

11. कार्य की समय पाबन्द व्यवस्था व त्वरित निर्देश प्रवाह हेतु निविदादाता/संवेदक को निरन्तर संचालन स्थिति में टेलिफोन/मोबाईल टेलीफोन की व्यवस्था रखनी होगी जिसके अभाव में शर्तो का उल्लघंन माना जावेगा। निविदादाता/संवेदक को जोधपुर स्थित अपने कार्यालय/कार्यशाला का पूर्ण पता देना होगा।
12. नगर निगम जोधपुर के द्वारा कार्यादेश देने के पश्चात सफल संवेदक को निम्न औपचारिकताऐं 15 दिवस में पूर्ण करनी होगी :–
(क) नियमानुसार अनुबन्ध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करने हेतु।
(ख) निविदा की राशि के 5 प्रतिशत के बराबर राशि प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/शेड्यूल बैक की बैक गांरण्टी/शेड्यूल बैक की एफ.डी.आर. "आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण" के नाम जोधपुर में देय, प्रस्तुत करने हेतु।
(ग) नगर निगम जोधपुर बैक गांरटी जारी करने वाले बैंक से बैक गारंटी प्रमाणीकरण करवाने हेतु स्वतंत्र है
(घ) प्रतिभूति राशि जब्त करने की स्थिति में एफ.डी.आर. भी उक्त एफ.डी. पर ब्याज सहित जब्त होगी।
(ड) प्रतिभूति राशि निविदा पूर्ण होने की दिनांक से 60 दिवस बाद तक वैध होनी आवश्यक है।

13 सफल निविदादाता को 15 दिवस में अनुबन्ध पत्र भरकर देना होगा तथा निविदा की राशि के 5 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति राशि नगर निगम कोष में जमा करवानी होगी।

14 यदि सफल निविदादाता समयावधि में अनुबंध पत्र एवं प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है तो जोधपुर नगर निगम दक्षिण इस निविदादाता की निविदा को निरस्त कर एवं धरोहर राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम निविदादाता (L_2) को कार्यादेश जारी करने हेतु स्वतंत्र है।

15 सफल निविदा की निविदा के समय जमा करायी गयी धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। धरोहर राशि पर कोई ब्याज संदत नही किया जायेगा।

16 विभाग द्वारा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज संदत नहीं किया जाएगा।

17 केन्द्रीय सरकार तथा राजस्थान सरकार के उपकम प्रतिभूति की राशि प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होगें।

18 प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण (Forfeiture):– प्रतिभूति की राशि का निम्नलिखित प्रकरणो में पूर्णतः या अंशतः समपहरण किया जा सकेगा।
(क) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तो को भंग किया जाता है।
(ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रुप से सेवा प्रदाय करने में विफल रहता है।
(ग) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बंध में कय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

19 निम्न स्थिति मे धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी
(1) यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद से निविदा स्वीकार करने तक निविदा वापस ले लेता है या शर्तो में किसी तरह का संशोधन करता है।
(2) जब निविदादाता कार्यालय आदेश जारी होने के पश्चात् दी गई समयावधि में अनुबंध पत्र प्रस्तुत नहीं करता है।
(3) जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात् निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
(4) यदि निविदादाता निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तो का उल्लंघन करता है।

20 निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा को निम्न स्थितियों में निरस्त माना जायेगा यदि–
(1) निविदा दस्तावेजों के प्रावधान के अनुसार योग्यता नहीं रखता हो।
(2) निविदा के साथ धरोहर राशि जमा नहीं की गई हो।
(3) जानबुझकर तथ्यों को छिपाया गया हो या गलत पेश किया गया हो।

21 समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा समयावधि के पश्चात् निविदा प्रस्तुत करने के लिए नगर निगम जोधपुर, दक्षिण उतरदायी नहीं होगा। निविदा दस्तावेज /शुद्विपत्र /संशोधन SPPP पॉर्टल/e-procurment portal से डाउनलोड नहीं होने पर नगर निगम जोधपुर, दक्षिण उतरदायी नही है।

22 निविदा पर अन्तिम निर्णय होने व कार्यादेश जारी करने के पश्चात् सफल निविदादाता के अलावा सभी निविदादाताओं की धरोहर राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी जो कि निविदादाता द्वारा नगर ...

RajKaj Ref
8252939

Signature valid
Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.06.23 09:10:19 IST
Reason: Approved

दक्षिण कार्यालय से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकेगी।

23 इस निविदा में एक फर्म एक ही निविदा प्रस्तुत कर सकेगी।

24 नगर निगम जोधपुर दक्षिण निविदा स्वीकार करने, अस्वीकार करने, आंशिक स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

25 न्यूनतम निविदा स्वीकार करने के लिये नगर निगम बाध्य नहीं है। आदेश देने के पूर्व तक नगर निगम जोधपुर सभी निविदाओं को निरस्त कर सकता है।

25 सफल निविदादाता द्वारा उक्त कार्य की समयावधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं किसी भी तरह का नगर निगम जोधपुर में बकाया नहीं होने के पश्चात् प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटाई जायेगी जो कि संवदेक द्वारा नगर निगम दक्षिण के कक्ष 324 से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकेगी।

27 निविदा संबंधित RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 की शर्तें यथा परिवर्तन लागू होगी।

28 सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिए संवेदक/फर्म जिम्मेदार होगा।

29 समस्त शर्तों की पालना में मतभेद होने पर आयुक्त द्वारा निर्णय किया जायेगा।

30 किसी भी विवाद में आयुक्त/महापौर का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।

5. कार्यविधि, मशीन एवं मशीन संचालक से सम्बंधित विवरण :–

1. उपलब्ध कराई जाने वाली हाईड्रा केन न्यूनतम 8 टन क्षमता की होनी आवश्यक है।
2. मशीन का उपयोग नगर निगम जोधपुर से सम्बन्धित कार्यो के लिये दिन एवं रात में एवं वर्ष के किसी भी दिन अथवा कभी भी आवश्कतानुसार लिया जायेगा जिसकी उपलब्धता निविदादाता सुनिश्चित करेगे। मांग के अनुरूप वाहन की आपूर्ति में निविदादाता के विफल रहने पर उस दिवस के लिये 2000 रूपये प्रति मशीन प्रतिदिन की दर से शास्ति वसूल की जायेगी तथा बाजार से मशीन किराये पर ली जायेगी। इस स्थिति में अन्तर राशि संवेदक से वसूली जायेगी।
3. सफल निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराई मशीन के वांछित आउटपुट नहीं देने की स्थिति में या उपलब्ध नहीं करवाये जाने की स्थिति में शास्ती काटकर रिस्ट एण्ड कोस्ट पर अन्यत्र से भी मशीन की आपूर्ति ले सकते हैं।
4. वाहन की वर्किंग का तात्पर्य केन के कार्यरत रहने से है एवं आयडल का आशय साईट/कार्यालय में दो घण्टे से अधिक समय तक अकार्यशील रहने पर आनुपातिक रूप से देय होगी जो अधिकतम आठ घण्टे के लिए देय होगी। आयडल दरे तभी देय होगी जब किसी सक्षम अधिकारी के मौखिक आदेश द्वारा वाहन को मौके पर आयडल रखने हेतु निर्देशित किया जाए।
5. उपलब्ध कराये जाने वाले मशीन अच्छी कन्डीशन एवं मजबूत होना अनिवार्य है। मशीन का ब्रेक, लाइट, बैट्री, HOUR मीटर आदि अच्छी व सही हालत में होना चाहिए। मशीन का बीमा, पी.यू.सी, रोड टेक्स इत्यादि का सम्पूर्ण दायित्व फर्म का होगा। अन्यथा इसके अभाव मे किसी भी विधिक वाद या विवाद की जिम्मेदारी फर्म की होगी। समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित फोटो कॉपी गैरेज कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. वाहन/मशीनों का माईलोमीटर/HOUR मीटर नियमित रूप से सही रखा जाना आवश्यक है। जिसका गैराज अभियन्ताओं या अन्य ऑथोरिटीज द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है। सही नहीं पाये जाने पर रूपये 500 शास्ती लगायी जावेगी।
7. प्रस्तुत किये जाने वाले बिल के साथ लॉगबुक संलग्न करनी होगी।
8. मशीन चालक का संबधित श्रेणी का मोटरयान चलाने का वैध व्यावसायिक लाइसेन्स होना आवश्यक है। चालक को जोधपुर शहर के रास्तों की जानकारी एवं उनका व्यवहार अच्छा होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के दुर्व्यहार की स्थिति में सेवा असंतोषजनक मान ली जावेगी। चालक द्वारा मशीन चालक से संबधित सभी दायित्वों जैसे वेतन, भते, बीमा, स्वास्थ्य, लाईसेन्स एवं श्रम कानूनों संबंधी इत्यादि की समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी। यदि किसी दिन उपयोगकर्ता अधिकारी चालक के असंतोषजनक व्यवहार/खराब ड्राईविंग/धूमपान/किसी प्रकार का नशा/आदेशों की अवहेलना/जानबूझकर वाहन/मशीन के लेट रिपोर्ट करने/निर्देशों के बाद भी गन्तव्य पर इन्तजार नहीं करने/लेट रिपोर्ट करने/सांय यूजर अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय से पूर्व चले जाने इत्यादि की रिपोर्ट करते है तो 500 रूपये प्रति घटना की शास्ति वसूल की

RajKaj Ref
8252939

Signature valid

Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.06.23 09:10:19 IST
Reason: Approved

जायेगी एवं यूजर अधिकारी के कार्य नहीं किया गया नोट डालने 500 रू की शास्ती वसूल की जायेगी। वाहन चालक को किसी भी प्रकार का टी.ए. या डी.ए. नगर निगम की ओर से देय नहीं होगा।

9. कार्य का प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता द्वारा प्रतिदिन लॉगबुक में किया जावेगा तथा संबधित शाखा प्रभारी/प्रभारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर मय सील करवाने होगें।

10. फर्म के मशीन में समुचित डीजल/ल्यूब्रिकेंट की व्यवस्था रखनी होगी। वाहन/मशीन उपयोग के समय आकस्मिक रिपेयर की अवस्था में वैकल्पिक व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी। नहीं करने की स्थिति में अनुपातिक रूप से कटोती की जाकर 1000 रू की शास्ती भी वसूल की जायेगी। एवं किये गये कार्य का भुगतान नही किया जायेगा।

11. मशीन का उपयोग नगर निगम से संबधित कार्यो व आपदा प्रबन्धन एवं अन्य कार्यो के लिए दिन एवं रात में एवं वर्ष के किसी भी दिन अथवा कभी भी आवश्यकतानुसार किया जावेगा जिसकी उपलब्धता निविदादाता सुनिश्चित करेगें। लिखित अथवा दूरभाष पर प्रेपित मौखिक मांग के अनुसार आपूर्ति मे निविदादाता के विफल रहने पर नगर निगम द्वारा फर्म के विरूद्व उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

12. प्रतिदिवस मशीन संचालन की अवधि कार्यादेश में अंकित अनुसार होगी जिसमें फर्म को नगर निगम की आवश्यकता के अनुसार कार्य सम्पादित करना पडेगा। वाहन/मशीन को निर्धारित अवधि से अधिक काम में लिया जा सकता है। 10 घण्टों से अधिक काम में लेने पर गैरेज प्रभारी से स्वीकृति लेना वांछित रहेगा एवं 10 घण्टो से अधिक कार्य करने पर फर्म द्वारा मना करने पर 1000 रू की प्रतिदिवस की शास्ती लगाई जावेगी।

13. प्रत्येक वाहन/मशीन के आगे पीछे प्लेट लगानी होगी जिस पर "जोधपुर नगर निगम दक्षिण से अनुबंधित" लिखा होना चाहिए। वाहन/मशीन को गैराज अधिकारी के निर्देशानुसार युजर अधिकारी या उसके द्वारा निर्देशित स्थान पर समय पर रिपोर्ट करना होगा। निर्देशित स्थान व समय पर वाहन/मशीन के रिपोर्ट नहीं करने पर 500 रू प्रति वाहन/मशीन प्रति दिवस शास्ती लगाई जावेगी।

14. वाहन/मशीन की लॉगबुक का संधारण मशीन चालक को करना होगा। संबंधित अधिकारी /प्रभारी से इन्द्राजों को प्रमाणित करवाया जाकर यथा नाम पद नाम मोहर सहित मशीन चालक द्वारा आवश्यक रूप से लॉगबुक में अंकित करवाने होगें। माह के अन्त में लॉगबुक को मुख्य अधिकारी/मु.स.नि. द्वारा प्रमाणिकरण करवाना होगा।

15. संवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल के साथ कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान की राशि सम्बंधित विभाग में जमा कराने का प्रमाण पत्र एवं बैंक चालान की प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा भुगतान नहीं किया जायेगा।

16. मशीन को नगर निगम जोधपुर, दक्षिण आवश्यकतानुसार निर्धारित स्थान पर पार्किंग करवा सकेगा जिससे आपातकाल में वाहन/मशीन की आवश्यकता पडने पर तुरन्त वाहन का उपयोग किया जा सके। पार्किंग करवाये जाने की स्थिति में मशीन की सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार का दायित्व नगर निगम जोधपुर का नहीं होगा।

17. कार्य की सुदृढ व्यवस्था की दृष्टि से समय समय पर निगम द्वारा जारी निर्देशों की पालना हेतु निविदादाता बाध्य होगा।

18. मशीन की लॉगबुक गैराज प्रभारी कार्यालय से सत्यापित निश्चित अवधि मे करवाकर ही काम में लेनी होगी अन्यथा लॉगबुक मान्य नही होगी।

19. आवश्यकता होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता/गैरेज प्रभारी की अनुमति से वाहन/मशीन निगम क्षेत्र से बाहर/अन्य विभाग में भी कार्य करने हेतु भिजवाया जायेगा। पालना नहीं होने पर उस दिन का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा रूपये 2000/– प्रति मशीन प्रतिदिन की शास्ती लगाई जायेगी एवं निगम द्वारा रिस्क एण्ड कोस्ट पर काम करवाये जाने पर फर्म से अंतर राशि वसूली जाएगी।

20. वाहनों के सभी स्पेयर पार्टस, उपसाधन, बैटरियॉ, डीजल, ऑयल, ल्युब्रिकेन्टस, पार्टस मरम्मत, चालक एवं मशीनों पर अन्य समस्त व्यय निविदादाता को करने होगे।

21. यातायात के समस्त नियमों की पालना संवेदक को करनी होगी।

22. उपलब्ध करवाये गये वाहन तकनिकी स्तर पर आधारभूत शर्तो से उन्नतर [illegible] किसी तरह का

RajKaj Ref
8252939

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.06.23 09:10:19 IST
Reason: Approved

अतिरिक्त महत्व नहीं दिया जायेगा तथा तकनिकी रूप से आधारभूत शर्तो अनुसार ही माना जायेगा।

23. वाहनों में होने वाली समस्त टूट फूट या खराबी के लिये निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
24. माँगें जाने पर तकनिकी बिड दस्तावेजो की मूल प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी।
25. संवेदक प्रत्येक माह के बिल आगामी माह की 20 तारीख तक भुगतान हेतु गैरेज प्रभारी नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। 20 तारीख तक बिल प्रस्तुत नहीं करने पर बिल राशि की 02 प्रतिशत शास्ती काटी जावेगी।

6. दुर्घटना

1. कार्य हेतु व कार्य के दौरान किसी भी तरह की जान माल की हानि, वाहन दुर्घटना या चोरी होने की स्थिति में किसी क्लेम या थर्ड पार्टी डेमेज नुकसान के लिये नगर निगम जोधपुर उत्तरदायी नहीं होगा तथा ना ही किसी प्रकार का भुगतान नगर निगम द्वारा देय होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिये संवेदक जिम्मेदार होगा। किसी भी स्तर पर नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। संवेदक वाहन पर कार्य पर लगे श्रमिकों/चालकों को सम्बंधित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवायेंगे। इनके साथ किसी भी तरह का हादसा होने पर संवेदक जिम्मेदार होगा। किसी भी क्लेम के लिए नगर निगम उतरदायी नही होगा।
2. दुर्घटना या दोषपूर्ण संचालन आदि के कारण सार्वजनिक स्थल/कार्य स्थल पर वाहन से हुई टूट फूट के लिये नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
3. दुघर्टना में वाहन के क्षतिग्रस्त होने, चोरी होने या अन्य किसी भी तरह का टूट फूट होने पर संवेदक दुसरा वाहन उपलब्ध करवायेगा।

7. निविदा प्रपत्र में संशोधन :–

1 नगर निगम दक्षिण निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख तक प्रशासनिक, तकनीकी या किसी भी कारण से निविदा में संशोधन कर सकता है जो कि www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajsthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा।

2 संशोधन निविदा प्रपत्र का भाग माना जावेगा।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

निविदा प्रपत्र पढ व समझ लिया है। इसकी पूर्ण पालना करने को सहमत है तथा अपनी सहमति में मैं/हम निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर व सील लगाकर प्रस्तुत कर रहे हैं तथा अपनी दर ऑनलाईन वितीय निविदा में भरकर प्रस्तुत कर रहे हैं।

हस्ताक्षर
निविदादाता नाम मय मोहर

RajKaj Ref
8252939

Signature valid
Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.06.23 09:10:19 IST
Reason: Approved

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

वितीय प्रस्ताव

कार्य का नामः– नगर निगम जोधपुर दक्षिण में आपदा प्रबन्धन एवं नगर निगम से संबधित अन्य कार्यो के लिए दो वर्ष के लिए हाईड्रा केन, प्लेटफार्म एवं रिकवरी केन आपूर्ति हेतु द्विवर्षीय दर निविदा।

क.स.	विवरण	संख्या	दर (सभी करों सहित)
1	नगर निगम दक्षिण के कार्यो के लिए हाईड्रा केन की आपूर्ति कार्य। (हाईड्रा केन न्यूनतम 8 टन क्षमता की होनी चाहिये।)	आवश्यकतानुसार	(अ) वर्किंग दर....................रूपये प्रति मशीन, प्रतिघण्टा (ब) आयड़ल दर ....रूपये प्रति मशीन प्रतिघण्टे
2	नगर निगम दक्षिण कार्यो के लिए रिकवरी केन आपूर्ति कार्य। रिकवरी केन Light & Medium, 4 wheeler vehicle को उठाने में सक्षम होना चाहिये।	आवश्यकतानुसार	(अ) वर्किंग दर....................रूपये प्रति मशीन प्रतिघण्टा (ब) आयडल दर ....रूपये प्रति मशीन, प्रतिघण्टे
3	नगर निगम दक्षिण के कार्यो के लिए प्लेटफार्म आपूर्ति हेतु कार्य।	आवश्यकतानुसार	(अ) वर्किंग दर....................रूपये प्रति प्लेटफार्म, प्रतिघण्टा (ब) आयडल दर ....रूपये प्रति प्लेटफार्म, प्रतिघण्टे
4	कुल योग = क.स. 1+2+3		

निविदादाता हस्ताक्षर
नाम मय मोहर

आव्हेन्द्र

RajKaj Ref
8252939

Signature valid
Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.06.23 09:10:19 IST
Reason: Approved

5ती ह

कार्यालय जोधपुर नगर निगम दक्षिण

परिशिष्ट – 'व'

–:: अण्डर–टेकिंग ::–

निविदा के लिये मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारियां सही व सत्य है, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी जमा धरोहर राशि जब्त करने के लिये आप अधिकृत है।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा धरोहर राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैनें/हमने कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं/हम स्वीकार करते है कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नही होगा तथा अगर मैंने/हमनें (1) अपनी निविदा दर की वैद्यता 60 दिवस से कम समय के लिये प्रस्तुत की (2) दरें स्वीकृति के पश्चात् निविदा के निर्देशों की निर्धारित समय में पालना नही की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नही किया (4) निविदा प्रपत्र के व नगर निगम के आदेश/निर्देशों की पालना नहीं की तो नगर निगम द्वारा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

इन वाहनों से सम्बन्धित सभी व्यय मैं/हमारे द्वारा वहन किये जायेगे।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि स्वयं के नाम हाईड्रा केन, प्लेटफार्म केन एवं रिकवरी केन के अतिरिक्त ओर कार्य की आवश्यकतानुसार उक्त वाहनों की मांग होने पर अन्य व्यक्ति/फर्म से उक्त वाहन किराये पर लेकर उपलब्ध करा देंगे। जिसकी बीमा/ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आदि विधिक दायित्वो की जिम्मेदारी हमारी होगी।

मुझे/हमें यह ज्ञात है कि सिक्योरिटी डिपोजिट का कार्य समाप्त होने के पश्चात् मांग करने पर बिना ब्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, शर्तो, संलग्न प्रपत्रों, निगम आदेशों की पालना करने के लिये मैं/हम बाध्य हैं तथा सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश को निरस्त कर सकता है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नही किया जावेगा। इसकी मैं/हम सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हमारी फर्म कहीं पर भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैं/हमारा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम जोधपुर दक्षिण में कार्यरत नहीं है।

दिनांक : ....

निविदादाता का नाम
व [illegible]

RajKaj Ref
8252939

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.06.23 09:10:19 IST
Reason: Approved

Jodhpur Municipal Corporation South

Declaration by the Bidder in compliance of Section 7 & 11 of the Act

Declaration by the Bidder/ JV

In relation to our Bid submitted to .... *[Enter designation and address of the procuring entity]* for procurement of .... *[Insert name of the Works]* in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated .... We hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;

3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;

6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

Date: Signature of Bidder

Place: Name:

Designation:

Address:

RajKaj Ref
8252939

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.06.23 09:10:19 IST
Reason: Approved